

सारांश हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिहासिक जज

अदालत को इस हुकम की तारीख में जारी है

मरु पुत्र वागली की प्रत्यु दिनांक 14/11/23 को हो चुकी है लेकिन इसकी पूर्ण प्रमाणात्मक गुणवत्ता के बावजूद वागली द्वारा कायम हुआ है के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा न ही कोई प्रमाण न्यायालय को दी गयी। मानकर 3 माह में प्रार्थना पत्र पेश करने का लक्ष्य नहीं किया गया और फाइनल ऑर्डर जारी कर फिल्ल हुकम की पाठ्य प्रमाणित इतर होम्स गन्तव्य मध्ये

(Signature)
23/11/23

मिली जी
(Signature)
अपने